


T-4



राष्ट्रीय जग्गे

e-Stamp

Certificate No.	B4 JH02071588205861Q
Certificate Issued Date	02 May 2018 12:05 PM
Account Reference	NEBACC (By p/acc/07/ CHAMBASA JH VS
Unique Doc. Reference	SL/08/ JH/00P/02/1315771195869Q
Purchased by	BHOLA SAWI
Description of Document	Article 21 Conveyance
Property Description	PLA HATI CHAMBASA
Consideration Price (Rs.)	2,50,000 (Two Lakh Fifty Thousand only)
First Party	PRATAP NARAYAN GUPTA AND OTHERS
Second Party	BHOLA SAWI CHAMBASA
Stamp Duty Paid By	BHOLA SAWI CHAMBASA
Stamp Duty Amount (Rs.)	10,000 (Ten Thousand only)



top margin side
more details
10-05-2018

8.50000/- RS - Sudar (Mrs) St 10000/- Paid. O.R.S

245

Handwritten notes in vertical script, possibly in Hindi or Gujarati.



Small handwritten notes and scribbles on the left side of the page.

- विक्रेता - (1) प्रताप नारायण गोप, पिता स्वो ईश्वरी प्रसाद गोप, जाति ग्वाला पेशा-बकालतु निवासी - हाउस नो 15(ए), रोड नो 2, रामनगर आरोग्य भवन के सामने, सीनारी, जमशेदपुर, जिला-पुडु सिहभूम, झारखण्ड, PAN No ADQJPG9751R
- (2) केशव चन्द यादव, पिता स्वो योगेश्वर प्रसाद गोप, धर्म हिन्दु पेशा व्यापार, जाति ग्वाला निवासी 91/33, मोहल्ला गार्डी टोला पोठ एवं धाना-चाईबासा, जिला-पुडु सिहभूम। PAN No AALPY5133G
- (3) विश्वनाथ यादव, पिता स्वो जोगेश्वर प्रसाद गोप, धर्म हिन्दु पेशा व्यापार, जाति ग्वाला, निवासी मोहल्ला सेन टोला पोठ एवं धाना-चाईबासा, जिला-पुडु सिहभूम। PAN No AALPY7792G राष्ट्रियता - भारतीय।



Per Invoice

PKD - 7,500.00
 alarm - 2.50
 service - 0.94
 ST - 360.00

 8,463.44

Handwritten signature or initials.

क्रैता - भोला साव, पिता श्री राजू साव, पेशा व्यापार, जाति - सेली, निवासी - गाडीखाना, चाईबासा, पोठ - चाईबासा, धाना - सदर, जिला - पश्चिमी सिहभूम।



Pratap Narayan &
Mohan Chyavan
विवरण 21/5

लेख्य प्रकार: मोहल्ला पुलहातू, वार्ड न० - 1, पो० एवं थाना - चाईबासा,
अवस्थित 2.5 डिसमिल जमीन की विक्रय दलील।

विक्रित जमीन का सरकारी मूल्य :- 2.5 डिसमिल जमीन रु० 99,000/- प्रति
डिसमिल के दर से 2.5 x 99,000/- = 2,47,500/- रु०

पक्षकारों में आपस में तय मूल्य :- रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रु०)

परिशिष्ट जमीन - जिला एवं जिला निकायन सिंहभूम पश्चिमी, अवर निकायन
कार्यालय - चाईबासा, मोहल्ला पुलहातू, नया वार्ड न० - 1, (पुराना
वार्ड न० 12), पट्टालय एवं थाना - चाईबासा, कायमी रैयती आवासीय
जमीन जो अन्य सड़क पर अवस्थित है अन्तर्गत खाता न० - 6, के प्लाट
न० - 152 के अंश से 0.02500 एकड़ (दो डिसिमिल पांच सौ बर्गकड़ी)
जमीन, सब प्लाट न० - 19 जिसकी चौहदी -

- उत्तर- सब प्लाट न० 18 (उसी प्लाट न० 152 का अंश)
 - दक्षिण- प्लाट न० 191,
 - पूरब - सब प्लाट न० 23 (उसी प्लाट न० 152 का अंश)
 - पश्चिमी- प्रस्तावित तस्ता 10 फीट (उसी प्लाट न० 152 का अंश)
- एवं प्लाट न० 192 एवं 193

विक्रित जमीन का नाप फीट के अनुसार -
उत्तर - 34 फीट 00 इंच,



Pratap Narayan
Kushwaha
Practising Lawyer

निवेदन संख्या 2016/17

पूर्व - 25 फीट • 10 फीट • 35 फीट

पश्चिम - 09 फीट • 20 फीट • 10 फीट • 39 फीट

उपरोक्त बिड़कीत जमीन का नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न है जिसमें बिड़कीत जमीन को सात रंग से दर्शाया गया है नक्शा की इस टाइटिल का अर्थ माना जायेगा। उपरोक्त जमीन नगरपालिका कार्ड नं० - 01, इन्डिडम नं० - 00100000263000Mo का अर्थ है।

लगान - रु० 0.25 पैसे सातवर्षीया मातंगुजारी अधिलेखी धाईबारा।

धुंकि खाता नं० 8, प्लॉट नं० 152, पुराना कार्ड नं० 12 मालका पुनकांतु गोप एवं धाना धाईबारा अधिलेखी 1 एकड़ 07 डिमीटर जमीन दिंडनाही के पिता - ईश्वरी प्रसाद गोप एवं जोगेश्वर प्रसाद गोप के नाम पर अर्थ सम्मान होत अधिलेखन में दर्ज होकर है।

और

धुंकि ईश्वरी प्रसाद गोप की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके अधिलेखी उनका एक मात्र पुत्र दिंडना प्रताप नारायण गोप है जो उक्त जमीन के 1/4 हिस्सा के हकदार हुए।

और

धुंकि जोगेश्वर प्रसाद गोप की भी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके अधिलेखी के तीन पुत्र उनका अर्थात् हिस्सा उनके तीन पुत्रों की बराबर-बराबर प्राप्त हुआ। उनके तीन पुत्र में दिंडना नं०-2 केशव चन्द धारद दिंडना नं०-3 दिग्वन्धु धारद तथा राधेश चन्द धारद है जिन्हें उपरोक्त प्लॉट में 1/8 हिस्सा बराबर-बराबर प्राप्त हुआ।

चूंकि, खतियानी रैयती की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त प्लॉट विक्रतागण एवं राधव चन्द यादव के संयुक्त नाम से अचल अधिकारी सदर के कार्यालय में नामांतरण वाद सं० 441/2011-12 में आदेश दिनांक 24.03.2012 के द्वारा नामांतरित है। जो जमाबंदी रजिस्टर बाल्यूम सं० 1, पृष्ठ सं० 67 पर दर्ज है।

और

चूंकि, इस प्रकार विक्रतागण का संयुक्त रूप से $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ अर्थात् $\frac{2}{3}$ हिस्सा उपरोक्त जमीन पर धारिणी हक में प्राप्त हुआ तथा बाकी $\frac{1}{3}$ हिस्सा राधव चन्द यादव का है।

और

चूंकि, विक्रता गण उपरोक्त जमीन में अपना $\frac{1}{3}$ हिस्सा पर अवस्थित जमीन को प्लॉट में विभाजित कर विक्रय करना चाहते थे और इस संबंध में उन्होंने अपने भाई राधव चन्द यादव के साथ मिलकर आपसी सहमति से मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया।

और

चूंकि, उपरोक्त बंटवारे के आधार पर विक्रतागण को उक्त प्लॉट के पूर्वी दिशा में 69.5 डिमीमल जमीन संयुक्त रूप से आवंटित हुई तथा पश्चिम दिशा में 17.5 डिमीमल जमीन राधव चन्द यादव को आवंटित हुई।

और

चूंकि, उपरोक्त बंटवारे को दोनों पक्ष इसे क्रियान्वित कर चुके हैं तथा दोनों पक्षों की जमीन अचल अमीन द्वारा स्थल पर सीमांकन कर दर्शा दी गई है।

और

चूंकि, विक्रतागण इस प्रकार बंटवारे में प्राप्त 69.5 डिमीमल जमीन के एकमात्र स्वामी हैं तथा इसे सब प्लॉट में विभाजित कर विक्रय कर रहे हैं।

1. ...
 2. ...
 3. ...

- ...
- ...
- ...

... 21.06.2018 को ...

1. Chandan Kumar Mishra
 ...
 ...

2. ...

Pradeep Kumar
 Sachin Kumar
 Anil Kumar



...
 21/6/2018

Bhalla Shree

प्रमाणित किया जाता है कि इस दलील को विक्रेता के कहे अनुसार मेरे द्वारा लक्षित किया गया एवं उसे पढ़ कर सुना दिया गया। इस दलील में कुल 1086 शब्द हैं। प्रमाणित किया जाता है कि इस दलील में केता एवं विक्रेता के फोटोग्राफ लगाया गया है एवं उनके बायें हाथ की उंगलियों का निशान मेरे समक्ष किया गया।

(अधिवक्ता) 21/6/2018

